

संचालनालय महिला एवं बाल विकास म.प्र.

विजयाराजे वात्सल्य भवन, 28 ए, अरेरा हिल्स, भोपाल

दूरभाष : 0755-2550909, 2550910 फैक्स 0755-2550912

www.mpwcdmis.gov.in

icpsbhopal@gmail.com

कमांक/म.स./22/1422

भोपाल, दिनांक 1/12/2022

विज्ञप्ति

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधान अनुसार विधि का उल्लंघन करने वाले एवं देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के गठन का प्रावधान है। जिलों में किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति की वर्तमान रिक्तियों हेतु निम्नानुसार जिलों के लिए अशासकीय व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र0	जिले का नाम	किशोर न्याय बोर्ड में रिक्तियों की संख्या	बाल कल्याण समिति में रिक्तियों की संख्या
1.	अनुपपुर	01 सदस्य पद	-
2.	मंदसौर	01 सदस्य पद	-
3.	श्योपुर	02 सदस्य पद(1 पद महिला)	-
4.	उमरिया	-	01 सदस्य पद(महिला)
5.	मुरैना	-	01 सदस्य पद
6.	नीमच	-	01 सदस्य पद
7.	सीहोर	-	02 सदस्य पद
8.	शाजापुर	-	01 सदस्य पद
9.	टीकमगढ़	-	1 अध्यक्ष पद
10.	धार	-	1 अध्यक्ष पद
11	गुना	-	1 अध्यक्ष पद
12	छिन्दवाड़ा	01 सदस्य पद(महिला)	-
13	भिण्ड	01 सदस्य पद(महिला)	-
14	डिण्डोरी	-	01 सदस्य पद

किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति के पद हेतु अर्हताएँ :-

(i) किशोर न्याय बोर्ड में सदस्य के लिए आवेदन करने वाले अशासकीय व्यक्ति की विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक को न्यूनतम आयु पैंतीस वर्ष होगी और पैंसठ वर्ष से अधिक नहीं होगी।

निरंतर....2

(2)

(ii) किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य हेतु अनिवार्य अर्हताएं – किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य हेतु ऐसा अशासकीय व्यक्ति पात्र होगा जिसके पास शिक्षा, स्वास्थ्य या कल्याण कार्यकलापों में बालकों के साथ कार्य करने का कम से कम सात वर्षों का अनुभव हो अथवा जो बाल मनोविज्ञान(child psychology) या मनोचिकित्सा (psychiatry) या समाज विज्ञान(sociology) या विधि क्षेत्र (law) में डिग्री प्राप्त व्यवसायरत व्यक्ति (practicing professional) हो।

(2) बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्यों के लिए अर्हताएं –

(i) बाल कल्याण समिति अध्यक्ष और सदस्य के लिए आवेदन करने वाले अशासकीय व्यक्ति विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक को पैंतीस वर्ष से अधिक आयु के होंगे किन्तु पैंसठ वर्ष से अधिक आयु के नहीं होंगे।

(ii) बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्य हेतु अनिवार्य अर्हताएं– बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्य हेतु ऐसा अशासकीय व्यक्ति पात्र होगा जिसके पास बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या कानून या सामाजिक कार्य या समाज शास्त्र या मानव स्वास्थ्य या शिक्षा या मानव विकास या विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा में डिग्री हो और बच्चों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याण गतिविधियों में सात वर्ष से सक्रिय रूप से शामिल हो (actively involved) अथवा जो मनोचिकित्सा (psychiatry) या समाज विज्ञान(sociology) या विधि क्षेत्र (law) या सामाजिक कार्य(social work) या समाजशास्त्र(sociology) या मानव स्वास्थ्य (human health) या शिक्षा(education) या मानव विकास(human development) या विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा (special education) में डिग्री के साथ व्यवसायरत व्यक्ति (practicing professional) हो।

किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के पद हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन संचालक, महिला एवं बाल विकास कार्यालय, विजयाराजे वात्सल्य भवन, 28 ए, अरेरा हिल्स, भोपाल पिन 462011 में कार्यालीन समय में जमा अथवा पंजीकृत डाक/कोरियर/स्पीड पोस्ट से दिनांक 30 दिसम्बर 22 तक आमंत्रित किये जाते हैं। ई-मेल अथवा निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों को मान्य नहीं किया जायेगा। आवेदन प्रारूप पात्रता, अपात्रता, शर्तें एवं अन्य निर्देश आदि की विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट www.mpwcdmis.gov.in के निर्देश मेन्यु में उपलब्ध है।



संचालक
महिला एवं बाल विकास
मध्यप्रदेश
30.11.22